

Arunachal Suspends Residential Proof Certificates of Chakmas, Hajongs

https://www.newsclick.in/arunachal-suspends-residential-proof-certificates-chakmashajongs

The Arunachal Pradesh government has suspended residential proof certificates (RPCs) issued to the Chakma and the Hajong refugee communities in the Changlang district following a call by the All Arunachal Pradesh Students' Union (AAPSU) for a statewide shutdown on August 3.

Fearing unrest by AAPSU, which wants the Chakma and the Hajong communities ejected, the Bharatiya Janata Party (BJP)-led Pema Khandu government issued an order suspending the certificates and the issue of new ones.

"The government of Arunachal Pradesh has decided to suspend all residential proof certificates (RPCs) issued in Changlang district with immediate effect," the order read, according to a Northeast Now report. "Further, it has also been decided to suspend the issue of fresh Residential Proof Certificates (RPCs) forthwith."

Besides, a committee would probe the issuance of RPCs, The Hindu reported. "The probe committee, which will include two AAPSU members, will submit its preliminary report within 15 days of its constitution and the final report within 45 days," the state joint secretary (political department), Rajeev Takuk said.

"If it is established during the inquiry that the RPCs were issued erroneously, they will be cancelled," Takuk added.

The Chakmas and the Hajongs, who belong to the Tibeto-Mongoloid race, were initially residents of the Chittagong Hill Tracts of erstwhile East Pakistan (now Bangladesh).

Newsclick reported on January 12 that the two communities had to flee when the Kaptai Dam project submerged their land. These people also faced religious persecution in East Pakistan. Subsequently, they entered India through the then-Lushai Hills district of Assam (now Mizoram).

Finally, the refugees, who numbered 5,000 but have increased to almost 1 lakh, were settled in Arunachal between 1964-69 by the government. Chakmas are primarily adherents of Buddhism while Hajongs follow customs that are a mix of Hinduism and animism.

Indigenous communities have been demanding the ouster of Chakmas and Hajongs from the state for several years. Since the 1990s, AAPSU has been demanding their resettlement somewhere else and has spearheaded mass movements against granting citizenship to the two communities.

Defending its stance, AAPSU general secretary Tobom Dai had told Newsclick that "the Bengal Eastern Frontier Regulation of 1873 and Chin Hills Regulation Act of 1896 amply protect the tribals and their rights".

Mentioning that AAPSU is not against granting citizenship to Chakmas, Dai said that "but they cannot be settled here. We are against their continued presence on our land. The reason is simple but glaring: the demographic impact and the competition for limited resources are already rearing their ugly head".

Dai added that "according to the Bengal Eastern Frontier Regulation Act, 1873, the British framed regulations that restricted the entry and regulated the stay of outsiders in designated areas. For inward travel into any of the 'protected' or 'restricted' areas of some of these states given under the Foreigners (Protected Areas) Order 1958, an official document issued by the government, which is known as the Inner Line Permit, is required. Besides, the order prohibits outsiders from acquiring any land in these tribal areas".

However, the Chakmas and Hajongs contend that the RPCs are "absolutely legal". "The issuance of proof of residence certificate to the Chakmas and Hajongs is not illegal but in compliance with the laws," Chakma Hajong Rights Alliance (CHRA) spokesperson Krishna Chakma told The Hindu.

"The Chakmas and Hajongs have lived in Arunachal Pradesh for the last 60 years and 95% of them have been born and brought up in the state. There is a need to end the racial discrimination against the Chakmas and the Hajongs and allow everybody to contribute towards the development of the state," the CHRA added.

Suhas Chakma, the founder of Chakma Development Foundation of India (CDFI), told Newsclick in January that the Chakmas and Hajongs "came from undivided India like thousands of other refugees since the Partition. The Chakmas and the Hajongs were permanently settled by the Union of India, the relevant competent authority of the then NEFA, during 1964-1969".

"There is no specific law recognising the tribals. Based on these criteria, the Chakmas and the Hajongs were recognised as Scheduled Tribes in Assam, Mizoram, Meghalaya, Tripura and West Bengal under the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950," Chakma had said.

"They do not live in refugee camps but in villages just like all others. They have always lived in peace with their neighbours and have good relations. The Chakma-Hajong issue is nothing but an issue to rake up for political mileage—an ill influence of the anti-foreigner agitation in Assam. If the threat to indigenous peoples was the issue, the focus would have been the control of the marketplace by non-APSTs of Arunachal Pradesh starting from Itanagar," Chakma added.

Until 1980, the Chakmas and the Hajongs could get government jobs, ration cards and access other rights and privileges like every Indian citizen. They were also given trading licences and agricultural assistance. But their rights were taken away in the 1990s and they were branded as illegal migrants. In September 1994, the then-chief minister Gegong Apang tried to resettle members of these groups but was not successful.

Relief came in the form of National Human Rights Commission (NHRC) vs State Of Arunachal Pradesh & Anr on January 9, 1996, in which the Supreme Court ruled: "The state of Arunachal Pradesh shall ensure that the life and personal liberty of every Chakma residing within the state shall be protected and any attempt to forcibly evict or drive them out of the state by organised groups, such as the AAPSU, shall be repelled, if necessary, by requisitioning the service of paramilitary or police force as is necessary to protect the lives and liberty of the Chakmas."

Still, successive state governments have refused to accept the judgement and implement it.



Death in police encounters: Assam ranks third – Sentinelassam

https://www.sentinelassam.com/north-east-india-news/assam-news/death-in-policeencounters-assam-ranks-third-605334

Assam ranks third in the country for cases registered in respect of death in police encounters. According to information provided by the National Human Rights Commission (NHRC) showing the year-wise and state-wise number of cases registered about custodial death and encounter death from April 1, 2020 to March 31, 2022, Assam registered 18 cases of death in police encounters in 2021-22. The highest number was registered by Jammu and Kashmir (45) and second highest number of cases by Chhattisgarh (30). In 2020-21, Assam had registered four cases of death in police encounters.

Among the other north-eastern states, Manipur registered only one case in 2021-22, Meghalaya two cases while Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland and Tripura did not register any case in 2021-22. On the other hand, Assam registered 22 cases of custodial deaths in 2021-22. Arunachal Pradesh registered two cases, Manipur 1, Meghalaya 13 cases, Mizoram 8, Nagaland 9 and Tripura 6. In 2020-21, Assam registered 19 cases of custodial death.



Stray dog menace

<u>https://www.greaterkashmir.com/todays-paper/editorial-page/stray-dog-menace-4</u> People in Srinagar city have been left at the mercy of the increasing population of stray dogs.

Children, elderly persons, women, and others keep on getting attacked, and bitten by dogs; many land in hospitals for treatment.

The authorities watch as silent spectators and do not like to go beyond assurances.

The stray dogs become more active after evening and make it very difficult for residents to move out during night hours.

Pedestrians are easy prey, while the dogs also chase the moving vehicles. The dogs virtually take control of roads, lanes and by-lanes during night.

The growing menace has been talked about a lot and highlighted in media, but no solid step has been taken on the ground to solve the problem.

It seems that such a serious problem is not a priority for the concerned officials of Srinagar Municipal Corporation. Some measures should be taken so that the problem gets resolved and people protected.

The officials while justifying their inaction refer to the objections by animal rights activists against the killing of stray dogs by poisoning.

Killing by poisoning is not the only option, the authorities can use other measures as well to overcome the problem. Sometimes sterilisation of dogs is done on a very limited scale. But this does not help and the population of dogs keep on increasing.

In 2015, the National Human Rights Commission (NHRC) while taking cognisance of media reports on the stray dog menace in New Delhi had observed that prima facie, it is of the view that human rights should weigh above animal rights in a situation where human lives are at risk due to attack by animals.

However, this calls for a debate by the civil society, NHRC had averred. The Commission also observed that "while the measure of sterilisation may help contain the increase in the dog population, it does not save or shield people from the bites of existing dogs. It looks like a human rights versus animal rights battle."

"The situation assumes alarming proportions when one links the stray dogs with their contribution to Rabies disease," the commission had said. In 2008, officials in Srinagar had poisoned hundreds of stray dogs and intended to kill thousands others at that time.

But they had to abandon the programme due to strong objections by animal rights activists, who said that it is an illegal and cruel solution to a problem that could be solved through other ways.

It has been 14 years since 2008 and authorities have not yet found out the other means to tackle dog menace. They try to divert the attention by limited sterilisation here and there.

While we raise this issue and ask authorities to act, the people also must not throw on roads the household garbage, which attracts dogs in search of food.

योगी के मंत्री बोले- अपराध के आंकड़ों से छेड़छाड़ कर जनता में भ्रम ...

https://up.punjabkesari.in/uttar-pradesh/news/yogi-s-minister-said--akhilesh-isspreading-confusion-among-1647551

उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री गिरीश यादव ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अपराध संबंधी आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं को अखिलेश द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार उजागर किये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यादव ने रविवार को कहा कि जिनके शासन में रोजाना दंगे होते थे, उन्हें प्रदेश की सुद्दढ़ कानून व्यवस्था रास नहीं आ रही है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कर प्रदेश की जनता में भ्रम फैला रहे हैं।

यादव ने कहा है कि विगत पांच वर्षों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। वहीं अखिलेश सरकार में प्रतिदिन सैकड़ों दंगे होते थे। प्रदेश में गुंडों और माफिया का राज था। माताओं, बहनों और बेटियों का शाम के समय सड़क पर निकलना दूभर था। हर तरफ अपराधियों का बोलबाला था। ऐसे लोगों को सुशासन और कानून का राज पसन्द नहीं आ रहा है, इसलिए वह जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश के राज में मुजफ्फरनगर, बरेली और अयोध्या समेत प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा था, जिसमें दंगा न हुआ हो। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में हुए दंगों में प्रदेश के कई लोग मारे भी गए थे। वहीं अखिलेश सरकार दंगाइयों को बचाती थी और माफिया एवं अपराधियों को संरक्षण भी देती थी। गिरीश यादव ने कहा कि योगी सरकार में दंगाई और अपराधी जेल में हैं, इसी बात की पीड़ा अखिलेश को हो रही है।

यादव ने कहा है कि एनएचआरसी के आंकड़ों में साफ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में वर्ष 2021-2022 में सिफर् 9 मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी ने यह भी बताया है कि ज्यादतर मौतों का कारण प्राकृतिक और विभिन्न बीमारियां जैसे कि कोविड–19, हाटर् अटैक एवं अन्य गम्भीर बीमारियां हैं। जबकि अखिलेश इस बारे में कुछ और आंकड़े बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।



विचाराधीन कैदियों की न्याय तक पहुंच जल्द हो

https://jantaserishta.com/national/undertrial-prisoners-should-have-quick-access-to-justice-1434976

न्याय में देर करना अन्याय है। भारत की न्यायप्रणाली इस मायने में अन्यायपूर्ण कही जा सकती है, क्योंकि भारत की जेलों में 76 प्रतिशत कैदी ऐसे हैं, जिनका अपराध अभी तय नहीं हुआ है और वे दो दशक से अधिक समय से जेलों में नारकीय जीवन जीते हुए न्याय होने की प्रतिक्षा कर रहे हैं। इन्हें विचाराधीन कैदी कहा जाता है, नैशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर की जेलों में कुल 4,88,511 कैदी थे जिनमें से 76 फीसदी यानी 3,71,848 विचाराधीन कैदी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे विचाराधीन कैदियों के मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए ईज ऑफ लिविंग यानी जीने की सहूलियत और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने की सहूलियत की ही तरह ईज ऑफ जस्टिंस की जरूरत बताते हुए कहा कि देश भर की जेलों में बंद लाखों विचाराधीन कैदियों की न्याय तक पहुंच जल्द से जल्द स्निश्चित की जानी चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए न्यायप्रणाली की धीमी रफ्तार को गति देकर ही ऐसे विचाराधीन कैदियों के साथ न्याय देना संभव है और इसी से सशक्त भारत का निर्माण होगा। डिस्टिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा इस मसले को उठाना खास तौर पर महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ इसकी गंभीरता को भी दर्शाता रहा है। विचाराधीन कैदियों का मुद्दा अति गंभीर इसलिये है कि बिना अपराध निश्चित हुए असीमित समय के लिये व्यक्ति सलाखों के पिछे अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय सजा के रूप में काट देता है, जब ऐसे व्यक्ति को निर्दोष घोषित किया जाता है, तो उसके द्वारा बिना अपराध के भोगी सजा का दोषी किसे माना जाये? ऐसे में कुछ ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि यह व्यवस्था अधिकतम संख्या में नागरिकों को न्यायिक उपचार सुलभ कराने में सक्षम हो सके। सबसे पहले तो किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए बिना जेल में रखे जाने की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। यह अवधि अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, जो न्यायप्रणाली में विचाराधीन कैदियों का विश्लेषण कर यह बताए कि उनकी ओर से सलाखों के पीछे भेजे गए लोगों में से कितने आखिर में निर्दाेष साबित हुए? ऐसी कानूनी एजेंसियों की पहचान होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करती हैं। सरकार को उन मामलों में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी, जिनमें अंतहीन सनवाइयों के कारण जिंदगियां जेलों में सड़ गईं। विचाराधीन कैदियों का मद्दा गंभीर है तभी प्रधानमंत्री ने पहले भी अप्रैल माह में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में भी यह विषय उठाया था। सुप्रीम कोर्ट भी समय-समय पर इस मसले को उठाता रहा है। बावजूद इन सबके पता नहीं क्यों, इस मामले में जमीन पर कोई ठोस प्रगति होती नहीं दिखती। नरेंद्र मोदी के द्वारा इस मुद्दे को उठाने लिए जो समय चुना है, वो सटीक भी है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है, यह समय हमारी आजादी के अमृत काल का है अतः देश में लम्बे समय से चले आ रहे अन्याय, शोषण, अकर्मण्यता, लापरवाही, प्रशासनिक-कानुनी शिथिलताओं एवं संवेदनहीनताओं पर नियंत्रण पाया जाना चाहिए। यह समय उन संकल्पों का है जो हमारी कमियों एवं विसंगतियों से मुक्ति दिलाकर अगले 25 वर्षों में देश को आदर्श की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। देश की इस अमृतयात्रा में न्याय प्रणली को चुस्त, दुरुस्त एवं न्यायप्रिय बनाने की सर्वाधिक आवश्यकता है। तभी प्रख्यात साहित्यकार प्रेमचन्द ने कहा था कि न्याय वह है जो कि दुध का दुध, पानी का पानी कर दे, यह नहीं कि खद ही कागजों के धोखे में आ जाए, खद ही पाखण्डियों के जाल में फंस जाये।'

विचाराधीन कैदियों का 73 प्रतिशत हिस्सा दलित, ओबीसी और आदिवासी समुदायों से आता है। इनमें से कई कैदी आर्थिक रूप से इतने कमजोर होते हैं जो वकील की फीस तो दूर जमानत राशि भी नहीं जुटा सकते। इसे देश की न्यायिक प्रक्रियां की ही कमी कहा जाएगा कि दोषी साबित होने से पहले ही इनमें से बहतों को लंबा समय जेल में गुजारना पड़ा है। आलम यह है कि इनकी जमानत पर भी समय से सुनवाई नहीं हो पा रही। उत्तर प्रदेश से जुड़े ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट मई महीने में आदेश दे चुका है कि राज्य के ऐसे तमाम विचाराधीन कैदियों को जमानत पर छोड़ दिया जाए जिनके खिलाफ इकलौता मामला हो और जिन्हें जेल में दस साल से ज्यादा हो चुका हो। फिर भी जब ऐसी कोई पहल नहीं हुई तो पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट के रुख पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते तो हम खद ऐसा आदेश जारी कर देंगे। देखना होगा कि यह मामला आगे क्या नतीजा लाता है, लेकिन समझना जरूरी है कि बात सिर्फ यूपी या किसी भी एक राज्य की नहीं है। परे देश के ऐसे तमाम मामलों को संवेदनशील ढंग से देखे जाने और इन पर जल्द से जल्द सहानुभूतिपूर्ण फैसला करने की जरूरत है। ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैण्ड, श्रीलंका जैसे मुल्कों ने जमानत के लिए अलग से कानून बनाया है और उसके अच्छे परिणाम आए हैं। भारत में भी ऐसे कदम उठाये जाने की जरूरत है। कानून के मुताबिक, विचाराधीन कैदियों को जमानत मिलना उनका अधिकार है, लेकिन जागरूकता के अभाव, कानूनी प्रक्रिया की विसंगतियों के चलते या कई बार तकनीकी कारणों से वे लंबे समय से बगैर दोष साबित हए जेल में बंद हैं। दंड शास्त्र का स्थापित सिद्धांत है कि बिना अपराध साबित हुए किसी व्यक्ति को जेल में बंद नहीं रखा जाना चाहिए। जमानत के प्रार्थनापत्र का शीघ्रता से निस्तारण संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के मुल अधिकार का हिस्सा है। ऐसे प्रार्थनापत्रों का एक समय-सीमा में निस्तारण होना चाहिए, और जब तक अभियुक्त को छोड़ने से न्याय पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका न हो, तब तक उसे जमानत से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। पर हकीकत इससे अलग है। तभी मोदी ने सम्मेलन में भाग लेने वाले जिला न्यायाधीशों से आग्रह किया कि वे विचाराधीन मामलों की समीक्षा संबंधी जिला-स्तरीय समितियों के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यालयों का उपयोग करके विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाएं। राष्टीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार कि देश में करीब 76 प्रतिशत कैदी विचाराधीन हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या ऐसे कैदियों की होती है जिन्हें शायद निर्दाेष पाया जाएगा। सारे विचाराधीन कैदियों में यह बात आमतौर पर देखी जाती है कि वे गरीब, युवा और अशिक्षित होते हैं। शायद सबसे बड़ा जोखिम गरीबी के कारण पैदा होता है, जो दो तरह से चोट करती है। एक, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग कानूनी रूप से असहाय हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जेल जाने से बचाने वाली कानूनी लड़ाई के लिए पैसे नहीं होते। दूसरे, अगर जमानत मिल भी गई तो कई बंदी जमानत की रकम चुका नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिये सरकार को कदम उठाते हुए सरकारी निःशुल्क कानूनी सहायता के उपक्रमों को विस्तारित करना चाहिए। हर उस व्यक्ति को सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए जिसे न्यायिक हिरासत में एक साल बिताने के बाद निर्दाेष पाया जाता है, क्योंकि सरकार समय पर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में विफल रही। भारत को अपनी न्याय प्रक्रिया में इस दृष्टि से आमुल-चुल परिवर्तन, परिवर्द्धन करने की आवश्यकता है कि अगर किसी आरोपित के पास जमानत के पैसे नहीं हैं तो सरकार उसकी आर्थिक मदद करे या जमानत हासिल करने के लिए उसे ऋण उपलब्ध कराए। गरीबी के कारण किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। विचाराधीन कैदियों में निश्चित ही कई निर्दाेष होंगे। अन्याय का शिकार होने वाले ऐसे लोगों का मुद्दा ज्वलंत एवं अति–संवेदनशील होना चाहिए। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। ऐसी सरकारी व्यवस्था निरर्थक होती है, जो न्याय न दे सके और देरी से मिला न्याय अन्याय ही होता है।